कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : *www.ukmssb.org*, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः 11/2023 दिनांक 17 जून, 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/27/2022–23/450, दिनांकः 15 मई, 2023 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) के रिक्त 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु आमन्त्रित अभ्यर्थियों के लिए दिशा–निर्देश तथा अभिलेख सत्यापन कलैण्डर जारी किया गया था।

दिनांक 31 मई 2023 से 28 जून 2023 तक आयोजित किये जाने वाले नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) अभिलेख सत्यापन में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा मेल/पत्र/दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे उन वर्ष के अन्तर्गत आते है जिन्हे बोर्ड द्वारा वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर श्रेणी–उपश्रेणीवार के अनुसार आमंत्रित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा भरे गये आवेदन पत्र में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष गलत अंकित हो गया है, और जिस कारण से उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है एवं उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया गया है।

बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी, यदि अभिलेख सत्यापन हेतु दावा करते है, और आवेदन पत्र में अंकित डाटा के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्षवार के अनुसार सम्बन्धित वर्ष, सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्ध रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30 जून 2023 को वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये गये थे परन्तु प्रवेश पत्र के अनुसार अभिलेख सत्यापन दिवस में बिना किसी पूर्व सूचना के समुचित कारण बताये बिना अनुपस्थित रहे, तो उन्हे अभिलेख सत्यापन हेतु उक्त तिथि को पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के दावे/प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र पर स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध है।

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।